झारखण्ड सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

।।अधिसूचना।।

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा मदिरा व्यापार एवं एतद् संबंधी अन्याय प्रकल्पों आदि की अनुज्ञप्ति निर्गमन एवं नवीकरण का कार्य वर्त्तमान में उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत ऑफलाईन माध्यम से किये जाते है। Ease of doing business के तहत यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऑफलाईन से संबंधित कार्य पूर्णतः बन्द किये जायें ताकि विभागीय बेवसाईट www.jhr.nic.in/jelons को पूर्णरूपेण पारदर्शी एवं User Friendly बनाकर लागू किया जा सके।

1. दिनांक–01.09.2017 से विभाग द्वारा प्रदायी सभी सेवाओं के लिए आवेदन ऑनलाईन ही प्राप्त किया जाएगा। दिनांक–01.09.2007 के उपरान्त Manual Application स्वीकार नहीं किया जाए।

2. Online आवेदन प्राप्त होने से लेकर आवेदन स्वीकृत होने तक यथासम्भव Upload किये गये Document की जाँच के लिए Hard Copy की माँग कर समय व्यर्थ न किया जाय। सेवाओं की भी online mode में ही आवेदक को उपलब्ध कराया जाय।

3. जिला स्तर पर Online आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त किसी भी कागजात के संबंध में स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर केवल एक बार में पूछ लिया जाए।

4. Online प्राप्त प्राप्त आवेदनों को ससमय निस्तार की जवाबदेही संबंधित पदाधिकारियों की है। "सेवा का अधिकार अधिनियम" के तहत अधिसूचित सेवाएँ समय सीमा के अन्दर प्रदान कर दी जानी है अथवा आवेदन को कारण सहित अस्वीकृत कर दिया जाना है। नियत समय सीमा के तहत आवेदन पर निर्णय नहीं लेने की स्थिति में इसे "Deemed Approved" माना जायेगा तथा ऐसी स्थिति के कारण किसी प्रतिकूल परिणाम परिलक्षित होने पर, विलम्ब के लिए उसकी पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारी की होगी।

5. Online विधि से प्राप्त आवेदनों के निस्तार के लिये NIC द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा।

6. Single Window System के तहत Grievances का पूर्ण रूपेण निपटारा 5 दिनों के अन्दर कर दिया जाना है।

7. विभाग से संबंधित सभी प्रकार के कर एवं शुल्कों की सूचना विभागी बेवसाईट पर उपलब्ध हैं

8. विभाग से संबंधित करों व शुल्कों से संबंधित किसी भी प्रकार का Online Return File नहीं कराया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

24/10/17

(अविनाश कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–1/नीति–01/2016– 1943 रॉंची, दिनांक– 24/10/17

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

24/10/17
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–1/नीति–01/2016– 1943 रॉंची, दिनांक–24/10/17

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, रॉंची/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/ सभी प्रधान सचिव/सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/आयुक्त उत्पाद/सभी उपायुक्त/उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/10/17
सरकार के सचिव।